:: कार्यालय– शिव कुमार कौशल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास (म.प्र.) ::

क्रमांक– 33 / स्टेनो / 2024 देवास, दिनांक 27.01.2024

// आ दे श //

मैं शिव कुमार कौशल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास (म.प्र.) माह **फरवरी एवं मार्च, 2024** में आने वाले सार्वजनिक अवकाश में रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को उनके न्यायालय कक्ष में सायं 3 से 5 बजे तक कार्य संपादित करने हेतु आदेशित करता हूँ :–

देवास

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	फरवरी, 2024	मार्च, 2024
1	सुश्री रश्मि खुराना जे.एम.एफ.सी.	04	10, 24
2	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम.एफ.सी.	18	16, 17
3	श्री अब्दुल अजहर अंसारी, जे.एम.एफ.सी.	14	25, 26
4	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी.	17, 25	8
5	श्रीमती आफरीन युसुफजई,जे.एम.एफ.सी.	11	03, 29, 31

सोनकच्छ

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	फरवरी, 2024	मार्च, 2024
1	सुश्री स्वाति बजाज, जे.एम.एफ.सी.	04, 11, 14	3, 16, 17, 24, 31
2	सुश्री निकिता पवांर, जे.एम.एफ.सी.	17, 18, 25	08, 10, 25, 26, 29

टोंकखुर्द

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	फरवरी, 2024	मार्च, 2024
1	श्री बुदेसिंह सोलंकी, जे.एम.एफ.सी.	04, 11, 14	3, 16, 17, 24, 31
2	सुश्री श्वेता खरे, जे.एम.एफ.सी.	17, 18, 25	08, 10, 25, 26, 29

बागली

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	फरवरी, 2024	मार्च, 2024
1	श्री राकेश कुमार जाटव, जे.एम.एफ.सी.	04, 11, 14	3, 16, 17, 24, 31
2	श्रीमती वीणा अग्निहोत्री,जे.एम.एफ.सी.	17, 18, 25	08, 10, 25, 26, 29

कन्नौद

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	फरवरी, 2024	मार्च, 2024
1	श्रीमती मीना शाह, जे.एम.एफ.सी.	11,	24, 25, 26, 29
2	श्रीमती नंदिनी उईके, जे.एम.एफ.सी.	14, 25	3, 16, 17,
3	श्रीमती हर्षिता सोनी, जे.एम.एफ.सी.	17, 18	08, 10, 31

खातेगांव

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	~~नवम्बर~~ फरवरी, 2024	~~दिसम्बर~~ मार्च, 2024
1	श्रीमती संचिता भदकारिया, जे.एम.एफ.सी.	04, 11, 14	3, 16, 17, 24, 31
2	श्री राजू पन्द्रे, जे.एम.एफ.सी.	17, 18, 25	08, 10, 25, 26, 29

27/1/24

नोटः

1— रिमाण्ड ड्यूटी की उक्त अवधि के दौरान यदि किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है तथा वे कार्यभार मुक्त हो जाते है तो नियत रिमांड ड्यूटी नवीन पदस्थापित न्यायिक अधिकारी द्वारा की जावेगी। पदस्थापना न होने की दशा में कार्य विभाजन पत्रक, 2023 अनुसार कार्यभारित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

2— किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का अवकाश आवेदन रिमांड ड्यूटी अवधि को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है तो रिमांड ड्यूटी का उल्लेख आवेदन में स्पष्ट रूप से किया जावे एवं इसकी सूचना साथ में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्टेट को एवं इस कार्यालय को पृथक से प्रस्तुत की जावे।

3— रिमांड ड्यूटी दिनांक को कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसकी रिमांड ड्यूटी नियत हो, मुख्यालय पर किसी कारणवश रिमांड ड्यूटी करने में असमर्थ हो या माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से किसी अपवादिक परिस्थितिवश मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्राप्त करता है तो उसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित की जावे।

4— रिमाण्ड ड्यूटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट की आकस्मिकता की स्थिति में साथ में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्टेट द्वारा रिमाण्ड डयटी का संपादन आपसी सहमति से किया जा सकता है, जिसकी सूचना इस न्यायालय को पूर्व में लिखित में आवश्यक रूप से दी जावे। आकस्मिकता की स्थिति में कोई अवकाश घोषित होने पर मुख्यालय **देवास** में श्रीमती आफरीन युसुफजई, जे.एम.एफ.सी. देवास, तहसील न्यायालय **सोनकच्छ** में सुश्री स्वाति बजाज, जे.एम.एफ.सी., तहसील न्यायालय **बागली** में श्रीमती वीण अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी., तहसील न्यायालय **खातेगॉव** में श्रीमती संचिता भदकारिया, जे.एम.एफ.सी., तहसील न्यायालय **कन्नौद** में श्रीमती हर्षिता सोनी, जे.एम.एफ.सी. एवं **टोंकखुर्द** में श्री बुदेसिंह सोलंकी, जे.एम.एफ.सी. उक्त अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

(शिव कुमार कौशल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देवास (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 34 / 2024 देवास, दिनांक 27.01.2024

प्रतिलिपि

1— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास / सोनकच्छ / टोंकखुर्द / बागली / कन्नौद / खातेगॉव की ओर ई—मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

3— सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय देवास की ओर आदेश की प्रति जिला स्थापना एवं तहसील स्थापनाओं में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की ओर ई—मेल के माध्यम से भेजे जाने हेतु प्रेषित।

27/1/24

(शिव कुमार कौशल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देवास (म.प्र.)